राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक:- 0 6 0 ८ ७ २०२३

आदेश

नगरीय विकास विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2020 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 06.09.2023 जिसका कार्यवाही विवरण दिनांक 29.09.2023 को जारी किया गया है। समिति के निर्णयों के बिन्दु संख्या 3 व 10 की पालना में निम्न आदेश जारी किये जाते है।

1. Amendment in parameters of resort schemes:

Provision 6.16 in (above 10 Ha) / Provision 4.12 in (up to 10 Ha) in amendment dated 08.09.2020 may be amended where existing scheme of resort & Resort Housing are merged into a single scheme for which parameters shall be as follows:

Para	Parameters of scheme				
S. No.	Use	Remarks			
1	Resort Project (Saleable part)	Construction may be allowed as Blocks of rooms with G+2 structure or cottages with G+1 structures. Note: 1. Minimum approach to scheme in urbanisable area of any town (U-1 of Jaipur) shall not be less than 18 m.			
	Jac.	 Hov. ever, in rural/ peripheral/ ecological belt of a town minimum approach to scheme shall be 12 m. Individual units (cottages, room etc) shall be allowed to be sold to other buyers to facilitate financing of the project. Minimum 25% of saleable part including the common facilities shall mandatorily remain in the ownership of owner /developer. Only remaining villa/cottage/rooms can be transferred by the developer to other entities. 			
2	Facilities/ Open	1. Common Plaza (Reception and allied activities): maximum height G+2 (15 m height) (min. 10% of total			
	Portion	BAR)			

	(Roads,	In Common Plaza area activities like reception, banquet	
	parks	hall, swimming pool, child play area, club house, spa,	
	& Open	gym, etc may be allowed.	
	Spaces,	2. Minimum approach to common plaza shall be 12 m &	
	Facilities	other internal road network as per Layout Plan & If	
	etc.) (non-	vehicular movement is to be allowed then minimum 6	
	saleable	meters internal roads are to be provided.	
	part)		
3	Other Parameters		
	1) Ground	coverage: - Maximum 20% built-up area for complete	
	scheme a	area.	
	2) Cottage	height - maximum G+1 (12m)	
	3) Block of	frooms – maximum G+2 (15 m)	
	4) Common Plaza Height – 15 m		
	5) BAR - 0	.60 Max	
	6) Set Back	c - as per building bylaws of original plot area	
	7) Common Parking - as per Model building bylaws 2020		
)	Note: -		
رد	1. Internal roads/pathways connecting resorts housing units shall be of		
	semi-pe	rmeable surface	
	2. Only un	its constructed as per approved plan can be transferred/sold	
	through	registered sale deed as per layout plan. No subdivision of	
	the units	s/plots will be allowed.	
	3. Individu	nal units (cottages, rooms) can only be transferred by the	
	1		

developer to other entities with the condition that entire

responsibility of the resort owner/ developer/ any agency appointed

development,

construction and maintenance shall be the

CS CamScanner

by developer.

- 4. Basic character of the resort shall not be disturbed
- 5. Buyer will not make any aditional construction in the unit purchased by him.
- 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रोविजन—1 में EWS/LIG के भूखण्ड/फ्लेट की लौटरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के संबंध में विचार

प्रोविजन—1 में विकासकर्ता को अपनी योजना में फ्लेटेड स्कीम में 5 प्रतिशत व प्लॉटेड स्कीम में 10 प्रतिशत भूमि EWS/LIG के लिये चिन्हित कर लॉटरी से भूखण्ड आवंटित किये जाते है। लॉटरी संबंधी गाईडलाईन स्पष्ट नहीं होने से कई विचोलिए राज्य के अलग—अलग स्थानों से लोगों के फार्म भरवा कर जमा करवा देते हैं, जिससे स्थानीय आवासहीन लोगों को भूखण्ड नहीं मिल पाता है। अतः निम्न आदेश दिये जाते है।

- 2.1 लॉटरी में जिस जिले में प्रोजेक्ट है उस जिले के निवासी एवं उस जिले में कार्यरत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये तथा प्रथम उन्हीं के आवेदन प्राप्त कर लॉटरी निकाली जावें। यदि ऐसे आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो अन्य जिलो से आवेदन प्राप्त कर लॉटरी निकाली जावें।
- 2.2 आवेदन करने हेतु अमानत राशि EWS हेतु रू 10,000 व LIG हेतु रू 20,000 न्यूनतम रखी

 जाये जो बिना ब्याज आवास की कीमत में समायोजित की जावेगी। इस राशि को डी.डी.

 के माध्यम से प्राप्त किया जावे और भूखण्ड/आवासों की 30 दिवस में लॉटरी निकाली

 जावे तथा लॉटरी में असफल आवेदकों को डी.डी. तत्काल लौटाई जावे।
- 2.3 ग्रुप में आवेदन नहीं कराये जावे।
- 2.4 EWS हेतु 3.0 लाख रूपये वार्षिक, LIG हेतु 6.0 लाख रूपये वार्षिक एवं MIG-A हेतु 12.0 लाख रूपये वार्षिक आय ग्रुप है। EWS हेतु 30 से 45 वर्गमीटर तक का भूखण्ड व 300—325 वर्ग फुट का आवास (फ्लेट), LIG हेतु 45 वर्गमीटर से अधिक एवं 75 वर्गमीटर तक का भूखण्ड व 500—550 वर्गफुट का आवास (फ्लेट) एवं MIG-A हेतु 75 व.मी. से

अधिक 120 वर्ग मीटर तक भूखण्ड व न्यूनतम 750 वर्ग फुट आवास (फ्लेट) रखा जाने का प्रावधान है। जिसकी पालना नहीं होने पर विकासकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल्की आज्ञा से

(संचिता बिश्नोई) संयुक्त शासन सचिव—प्रथम नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।

4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।

6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।

7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम / द्वितीय / तृतीय नविवि।

रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम